प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठः

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

प्रथम अपील क्रमांक 67 /2007

विकास केलकर

बनाम

एम. मूर्ति और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

16 -12-2010 को सूचीबद्ध करें।

सही /-

पी.के.मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

प्रथम अपील संख्या 67 / 2007

अपीलकर्ता विकास केलकर

बनाम

प्रत्यर्थी एम. मूर्ति एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः

श्री राजा शर्मा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ।

श्री आर.एस. बघेल, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम अपील

निर्णय

(दिसंबर, 2010 को प्रदत्त)

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद 'संहिता') की धारा 96 के तहत यह पहली अपील प्रतिवादी विकास केलकर द्वारा पेश की गई है, जिसके खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10-6-1998 को विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए एक डिक्री पारित की गई थी, साथ ही डिक्री की तारीख से अधिपत्य प्राप्त करने की तारीख तक 2,500/- रुपये प्रति माह की दर से नुकसानी भी दिया गया था।

2. संक्षेप में, वादी का मामला यह है कि मूल प्रतिवादी दिगंबर केलकर ने ज़रूरतमंद होने पर वादी से आर्थिक सहायता मांगी और इनकार करने पर, उसने मिलिंद केलकर के साथ मिलकर रायपुर के बूढापारा स्थित अपना मकान क्रमांक 9/106, 3 लाख रुपये में बेचने पर सहमत हुआ और 10-6-1998 को इस आशय का एक करार निष्पादित किया। अनुबंध की तिथि पर मूल प्रतिवादी को पूरी राशि प्राप्त हो गई और उसने सभी मूल दस्तावेज़ वादी को सौंप दिए। मूल प्रतिवादी द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गई थी कि बिक्री-विलेख 9 जून, 2000 तक निष्पादित किया जाएगा और मकान पर अधिपत्य बनाए रखने के लिए करार की तिथि से वादी को हर महीने 7,500 रुपये का भुगतान भी नुकसानी के रूप में किया जाएगा। वादी के अनुसार, मूल प्रतिवादी ने वादी को 7,500 रुपये प्रत्येक के 6 उत्तर दिनांकित चेक जारी किए, हालांकि, चेक अनादरित हो गए। वादी ने समझौते के संबंध में 10-5-1999 को समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया और 7-4-2000 और 31-10-2000 को विधि ी नोटिस भेजे गए, जिनका जवाब नहीं दिया गया। इसके बजाय, मूल प्रतिवादी ने 10-6-1998 के करार को निरस्त घोषित करने के लिए एक सिविल वाद दायर किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादीगण का तर्क यह है कि मूल प्रतिवादी ने कभी भी करार निष्पादित पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और चेक सिलाई मशीन के व्यवसाय के संबंध में जारी किए

गए थे। यह भी कहा गया कि वाद परि-सीमा द्वारा कालबाधित है और उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार, वादी को कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर कई व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करने की आदत है।

4. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने पाया कि मूल प्रतिवादी दिगंबर केलकर ने उक्त समझौता किया था और 3 लाख रुपये प्राप्त किए थे। हालाँकि, विवादक क्रमांक 4 और 5 पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि समझौते की तिथि से 7,500 रुपये प्रति माह की दर से नुकसानी भुगतान और 6 चेक जारी करने संबंधी खंड सिद्ध नहीं होते। विचारण न्यायालय ने यह पाते हुए वाद का डिक्रीत किया कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर और रजामंद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल प्रतिवादी दिगम्बर केलकर ने प्रश्नगत समझौते को रद्द घोषित करने के लिए एक वाद संस्थित किया था, जैसा कि वादपत्र के पैरा 6 से परिलक्षित होता है, जिसे लिखित बयान के पैराग्राफ 11 में स्वीकार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार वाद क्रमांक 6-ब /2002 वाला उक्त वाद मूल प्रतिवादी दिगम्बर केलकर की मृत्यु के बाद उपशमन हो गया और वर्तमान प्रतिवादीगण ने संहिता के आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत उपशमित को अपास्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन एमजेसी क्रमांक 10/03 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसे वर्तमान प्रतिवादियों ने मूल प्रतिवादी दिगम्बर केलकर के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर 12-11-2007 को वापस ले लिया था। प्रतिवादी क्रमांक 1/वादी ने अतिरिक्त कुटरचित न्यायाधीश 9 (एफटीसी), दुर्ग के न्यायालय में एमजेसी क्रमांक 10/03 को वापस लेने के आदेश दिनांक 12-11-2007 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए

संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का कोई उत्तर नहीं दिया है। वैसे भी, दस्तावेज एमजेसी न्यायालय के आदेश-पत्र की सत्यापित प्रति है और इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं है। उक्त अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख पर लिया गया है।

6. अपीलकर्ता/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजा शर्मा ने तर्क दिया है कि दिनांक 10-6-1998 का करार, प्रदर्श.पी-1, के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उक्त करार वास्तव में 3 लाख रुपये के ऋण के लिए प्रतिभूति था, जैसा कि वाद की रूपरेखा से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि वादपत्र के कथनों को पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि मूलतः यह करार के विशिष्ट पालन के बजाय ऋण वसूली का वाद है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे अब 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 23 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विशिष्ट पालन के लिए वर्तमान वाद स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दस्तावेज़ कुटरचित था और उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 1/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस.बाघेल ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 23 में निहित चुनाव के सिद्धांत के संबंध में कोई अभिवचन नहीं है और समझौते के खंड 8 प्रदर्श पी-1 में संविदा को निष्पादित करने में विफलता के मामले में दंड का प्रावधान है और यह निश्चित ही नुकसानी के परिनिर्धारण का मामला नहीं है।

8. समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने करार के निष्पादन को सिद्ध पाया है, तथापि, अनुबंध के खंड 7, प्र.पी-1 में व्हाइटनर और अंतर्वेशन के प्रयोग के आधार पर, मूल प्रतिवादी द्वारा परिसर में अधिपत्य जारी रखने के बदले अनुबंध की तिथि से वादी को 7,500/- रुपये के भुगतान संबंधी उक्त खंड सिद्ध नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और वादी द्वारा मूल प्रतिवादी को भेजे गए विधि नोटिसों के आधार पर, यह पाया गया है कि वादी संविदा का पालन करने के लिए तत्पर और रजामंद था।

9. अधिनियम की धारा 23 में निहित प्रावधान का सहारा लेकर अपीलकर्ता/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क की विवेचना और निर्णय करने के लिए, करार के प्रदर्श पी-1 के खंड 7 और 8 को संदर्भित करना और पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7- यह कि पार्टी न. 2 उक्त भवन को उपयोग कर रहा है अतः वह पार्टी न. 1 को क्षतिपूर्ति के तौर पर रजिस्ट्री व वापस कब्जा देने के दिनांक तक 7,500/- रुपये माहवार देगा।

8- यह कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों या वैधानिक अड़चनों के कारण यदि पार्टी न. 2 पार्टी न. 1 के पक्ष में रजिस्ट्री कराने में असमर्थ रहा है तो पार्टी न. 2 पार्टी न. 1 के संपूर्ण रकम मय 7,500/- रुपये मासिक क्षतिपूर्ति के साथ वापस करेगा तथा जब तक संपूर्ण रकम अदा नहीं हो जावेगी तब तक उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार अंतरण, बंधक, विक्रय का करार अथवा संपत्ति को किराये पर देने अथवा लाभ के कामों में उठाने से पार्टी न. 2 प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐसा करता है तो वह संविदा

का आपराधिक भंग माना जावेगा तथा पार्टी न. 1 उक्त संपत्ति व पार्टी न. 2 के समस्त दिगर संपत्तियों से संपूर्ण रकम मय क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

10. अधिनियम की धारा 23 का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें लिखा है:

'23. क्षति का क्षतिपूर्ति परिसमापन विशिष्ट निष्पादन पर रोक नहीं है

नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन न होगा - 1 जिस सविदा का विनिर्दिष्टत:प्रवर्तन अन्यथा उचित हो, यदि्प उसके भंग की दशा में संदेय रकम के तौर पर कोई राशि उसमे नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामंद हो तथापि उसका ऐसे प्रवर्तन किया जा सकेगा यदि न्यायालय का सविदा के निबन्धनो और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाये कि वह राशि केवल सविदा के पालन को सुनिशचित करने के प्रयोजन से ही नामित है न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह विकल्प देने के प्रयोजन से कि वह विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर धन का संदाय कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन करते समय न्यायालय संविदा में ऐसी नामित राशि के संदाय की भी डिक्री नहीं करेगा।

(1) किसी संविदा का, जो अन्यथा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित किए जाने योग्य है, प्रवर्तन किया जा सकेगा, यद्यपि उसमें उसके भंग होने की दशा में संदत्त की जाने वाली रकम के रूप में एक राशि निर्दिष्ट की गई हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे संदत्त करने के लिए राजी हो, यदि न्यायालय, संविदा की शर्तों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वह

राशि केवल संविदा का निष्पादन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट की गई थी, न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को विशिष्ट निष्पादन के बदले में धन देने का अधिवक्ता ्प देने के प्रयोजन के लिए।

(2) इस धारा के अधीन विशिष्ट पालन लागू करते समय न्यायालय अनुबंध में निर्दिष्ट राशि के भुगतान का आदेश भी नहीं देगा।

11. अधिनियम की धारा 23 में निहित प्रावधान के आशय और दायरे की व्याख्या करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. एल. देवेंद्र सिंह और अन्य बनाम सैयद खाजा, [(1973) 2 एससीसी 515] में यह माना है कि:

[रिपोर्ट के पैराग्राफ 15, 16 और 17 इस प्रकार हैं:]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. हमारा मानना है कि 1963 के अधिनियम की धारा 23 में उन सिद्धांतों का एक व्यापक विवरण है जिनके आधार पर, 1963 के अधिनियम से पहले भी, किसी संविदा में संविदा के उल्लंघन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि निर्दिष्ट करने वाले किसी नियम की उपस्थिति की व्याख्या की जानी चाहिए। जहाँ

यदि भुगतान संविदा की अन्य शर्तों को पूरा करने का एक अधिवक्ता है, तो यह संविदा की शर्तों के अनुसार, संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन को बाहर कर देगा।

16. ऊपर बताई गई स्थिति सर एडवर्ड फ्राई के संविदाओं विनिर्दिष्ट अनुपालन पर ग्रंथ" (छठा संस्करण, पृष्ठ 65) में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप है। वहाँ कहा गया था:

"सवाल हमेशा यही होता है: संविदा क्या है? क्या यह है कि एक

निश्चित कार्य किया जाएगा, जिसके साथ एक राशि संलग्न की जाएगी, चाहे वह शास्ति के रूप में हो या नुकसानी के रूप में, इस कार्य के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए? या, क्या यह है कि दो चीजों में से एक उस पक्ष के चुनाव पर किया जाएगा जिसे संविदा का अनुपालन करना है, अर्थात्, कार्य का अनुपालन या धनराशि का भुगतान? यदि पहला, दंड या अन्य समान राशि संलग्न होने का तथ्य अदालत को उसी कार्य के अनुपालन को लागू करने से नहीं रोकेगा, और इस प्रकार पक्षों के इरादे को निष्पादित करेगा: यदि दूसरा, तो संविदा एक धनराशि के भुगतान से संतुष्ट है, और दूसरे अधिवक्ता के अनुपालन को मजबूर करने के लिए चुनाव करने वाले पक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है। जो कुछ कहा गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार के संविदा पर अब चर्चा हो रही है वे तीन श्रेणियों में विभाजित हैं -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) जहां उल्लिखित राशि पूर्णतः शस्ति है - वह राशि जो शस्ति को सुरक्षित करने के लिए नामित की गई है संविदा का अनुपालन क्योंकि शास्ति एक बंधन है;

(2) जहां नामित राशि संविदा भंग के लिए नुकसानी के परिनिर्धारण के रूप में भुगतान की जानी है:

(3) जहां नामित राशि ऐसी रकम है जिसका भुगतान उस व्यक्ति के चुनाव पर कार्य के निष्पादन के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसके द्वारा धन का भुगतान किया जाना है या कार्य हो गया।

जहाँ निर्धारित भुगतान पहले उल्लिखित दोनों शीर्षकों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, वहाँ न्यायालय अनुबंध को प्रवर्तन करेगा, यदि अन्य पहलुओं में इसे लागू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे किसी विशेष कार्य को न करने के संविदा को, उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दंड या नुकसानी के परिनिर्धारण के रूप में नामित राशि के साथ, उसे भंग करने के विरुद्ध निषेधाज्ञा के माध्यम से विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर, जहाँ संविदा तीसरे शीर्षक के अंतर्गत आता है, वहाँ यह 'धन के भुगतान' से संतुष्ट हो जाता है, और न्यायालय के पास संविदा के अन्य अधिवक्ता ् के विशिष्ट अनुपालन के लिए बाध्य करने का कोई आधार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सर एडवर्ड फ्राई ने बताया कि संविदा भंग के लिए कठोर शस्ति और नुकसानी के परिनिर्धारण के बीच का अंतर सामान्य विधि में महत्वपूर्ण था, जहाँ नुकसानी के परिनिर्धारण को संविदा भंग के लिए पर्याप्त मुआवज़ा माना जाता था, लेकिन दंड के रूप में निर्धारित राशि एक अलग स्तर पर थी। उन्होंने आगे कहा:

"लेकिन जहां तक साम्यपूर्ण उपचार का सवाल है, यह अंतर महत्वहीन है; क्योंकि तथ्य यह है कि नामित राशि वह राशि है जिसे नुकसानी के परिनिर्धारण के रूप में भुगतान करने पर सहमति हुई है, जो कि सख्ती से तथाकथित दंड के समान है, जो न्यायालय को संविदा को प्रभावशील करने से रोकने के लिए अप्रभावी है।"

12. बाद के एक निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. डिसूजा बनाम शोंड्रिलो नायडू,[(2004) 6 एससीसी 649 में एमएलदेवेंद्र सिंह और अन्य बनाम सैयद खाजा (पूर्वोक्त) में अपने पहले के निर्णय का अवलंब लिया है और पैराग्राफ 32 और 33 में कहा है:

> "32. सामान्य विधि नुकसानी के परिनिर्धारण और शास्ति के बीच अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन शाम्य पूर्ण उपचार के संबंध में, यह कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है।
>
> 33. मंजूर अहमद मगरे बनाम गुलाम हसन अराम, (1999) 7 एससीसी 703 में इस न्यायालय ने एमएल देवेंद्र सिंह, (1973) 2 एससीसी 515 में निर्धारित निर्णय के आधार को दोहराया। (ए. अब्दुल रशीद खान बनाम पाका शाहुल हामिद, (2000) 10 एससीसी 636 भी देखें।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.एल.देवेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम सैयद खाजा (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि तथा पी. डिसूजा बनाम शोन्द्रिलो नायडू (पूर्वोक्त) में दोहराए गए विधि के अनुसार, इस न्यायालय को अब इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या वर्तमान करार का खंड 8 विनिर्दिष्ट अनुपालन के बदले निश्चित क्षतिपूर्ति या नुकसानी के परिनिर्धारण पर्याप्त मुआवजे का मामला है या अनुबंध के भंग के लिए कठोर शस्ति का मामला है, और क्या मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री के शाम्यपूर्ण अनुतोष का हकदार है।

14. समझौते के खंड 8 में कहा गया है कि यदि किसी अपरिहार्य कारण या विधिक बाधा के कारण, पार्टी नंबर 2 (मूल प्रतिवादी) पार्टी नंबर 1 (वादी) के पक्ष में बिक्री-विलेख निष्पादित करने की स्थिति में नहीं है, तो वह प्रति माह 7,500/- रुपये की दर से मासिक हर्जाने के साथ-साथ विचार की पूरी राशि वापस कर देगा और उसे समझौते की गई संपत्ति के संबंध में तीसरे पक्ष के हित बनाने से रोक दिया जाएगा, ऐसा न करने पर, इसे आपराधिक विश्वासघात का मामला माना जाएगा और वादी मूल प्रतिवादी की अन्य संपत्तियों से राशि वसूलने का हकदार होगा। मूल प्रतिवादी ने एक दलील दी है कि उसने ऋण प्राप्त करने के लिए वादी से सम्पर्क किया था और दस्तावेज तैयार किए गए थे लेकिन ऋण की राशि वास्तव में अग्रिम नहीं दी गई थी। वादी का प्रारंभिक मामला भी इस आशय का है कि मूल प्रतिवादी ने ऋण प्राप्त करने के लिए उससे सम्पर्क किया था इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, यह ऋण अग्रिम देने का मामला प्रतीत होता है और इसलिए, समझौते का खंड 8 इस तरह से लिखा गया था कि यदि बिक्री-पत्र पंजीकृत नहीं है, तो पूरी राशि 7,500/- रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति के साथ वापस कर दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचना के आलोक में, इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि दिए गए तथ्यों के आधार पर, वादी विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए डिक्री के न्यायसंगत अनुतोष का हकदार नहीं था, क्योंकि प्रतिवादीगण का ऋण लेनदेन का मामला अत्यधिक संभावित प्रतीत होता है, वादी के अपने मामले को देखते हुए कि मूल प्रतिवादी ने शुरू में ऋण प्राप्त करने के लिए उससे संपर्क किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैरा 8 में यह भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादियों के अनुसार, वादी ने कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर कई व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की है। प्रति-परीक्षण के पैराग्राफ 8 में प्रतिवादीगण के गवाह जी. अपन्ना के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने कई व्यक्तियों के साथ ऋण लेनदेन

किया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और विशेष रूप से समझौते के खंड 8 के अनुसार, जिसके द्वारा वादी ने स्वयं विक्रय-पत्र के निष्पादन के बदले राशि की वापसी के लिए सहमति व्यक्त की है, यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा करना संभव नहीं है, तो यह न्यायालय यह मान लेगा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने वाद पर डिक्री पारित करके त्रुटि की है। चूँकि वादी ने राशि की वापसी के लिए वैकल्पिक डिक्री की भी प्रार्थना की है, इसलिए प्रथम अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त करते हुए, वादी के पक्ष में निम्नलिखित डिक्री प्रदान की जाती है:

(1) वादी प्रतिवादीगण से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से 3 लाख रुपये की राशि वसूलने का हकदार होगा।

(2) प्रत्यर्थी गण संयुक्त रूप से और पृथक रूप से वादी को वाद दायर करने की तिथि से उसकी वसूली की तिथि तक 3 लाख रुपये की उपरोक्त राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही /-

पी के मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur